अधिस्वीकृत पत्रकार निःशुल्क यात्रा सुविधा

अधिस्वीकृत पत्रकारों को राज्य में संचालित एवं दिल्ली यात्रा की राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वातानुकूलित एवं वोल्वो बसों में 50 प्रतिशत की छूट के भुगतान
(दिनांक 10.09.2015 से यह सुविधा प्रभावी)

- बजट घोषणा वर्ष 2015-16 में अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की वातानुकुलित एवं वोल्वो बसों के किराये में 50 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की गई थी। यह सुविधा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा दिनांक 10.09.2015 से प्रभावी की गई। इस रियायती राशि का पुनर्भरण सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के पत्रकार और साहित्याकार कल्याण कोष के द्वारा किया जा रहा है।
- बजट घोषणा वर्ष 2016-17 के अन्तर्गत अधिस्वीकृत पत्रकारों को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के आदेश दिनांक 17.06.2016 के द्वारा अधिस्वीकृत पत्रकारों को विशेष आरएफआईडी कार्ड (वातानुकूलित एवं वोल्वों बसों में मान्य) के अनुसार निगम की समस्त वातानुकूलित एवं वोल्वों बसों में राजस्थान राज्य क्षेत्र व दिल्ली के लिए प्रदान की जा रही यात्रा सुविधा के 50 प्रतिशत रियायती किराये के स्थान पर निःशुल्क यात्रा सुविधा लागू की गई। जिसके बिलों की पुनर्भरण राशि का भुगतान सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के पत्रकार और साहित्यकार कल्याण कोष से किया जा रहा है।